भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-231
उत्तर देने की तारीख-27/11/2024

राज्य बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने की उच्च दर

231 **श्री शक्तिसिंह गोहिल:**
श्रीमती रंजीत रंजन:
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय बोर्ड की तुलना में राज्य बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने की उच्च दर के कारणों की पहचान की है;
(ख) क्या सरकार की राज्य बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की दर में सुधार करने और इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने की योजना है; और
(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं कि राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों को केंद्रीय बोर्ड के विद्यार्थियों के समतुल्य परिणाम प्राप्त करने के लिए समान शैक्षणिक सहायता और संसाधन प्राप्त हों?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, और सभी राज्य शिक्षा बोर्ड संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय बोर्ड हैं।

एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुसरण में, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र

विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) दिनांक 8 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। परख का प्राथमिक उद्देश्य देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों में छात्र मूल्यांकन और आकलन हेतु मापदंड, मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करना और समस्त स्कूल बोर्डों में शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समानता सुनिश्चित करना है।

परख ने अपनी समतुल्यता रिपोर्ट में अन्वेषित किया है कि विभिन्न स्कूल बोर्डों में शैक्षिक मानकों, पाठ्यक्रमों, मूल्यांकन पद्धतियों और परिणामों में काफी अंतर है। ये अंतर विशेष रूप से प्रश्न पत्रों में स्पष्ट हैं, जो (क) अधिगम के क्षेत्र (जैसे याद रखना/याद करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना और सृजन करना), (ख) प्रश्नों की टाइपोलॉजी (निबंध, लघु-उत्तर, अति लघु-उत्तर, वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्प), और (ग) प्रश्नों के कठिनाई स्तर (आसान, मध्यम, कठिन) में भिन्नता लिए होते हैं।

परख, स्कूल बोर्डों के साथ निकटतापूवक कार्य कर रहा है और समस्त स्कूल बोर्डों के शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समतुल्यता संबंधी विभिन्न कार्यशालाएँ आयोजित कर रहा है। समतुल्यता, विभिन्न शैक्षिक बोर्डों की शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षाओं को मूल्य और कठोरता के आधार पर तुलनीय बनाने की प्रक्रिया को मान्यता देने और वैध करने की प्रक्रिया है। समतुल्यता का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षार्थियों की योग्यता को विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और क्षेत्रों में समान रूप से स्वीकृत किया जाए, जिससे गतिशीलता और अवसरों तक पहुंच सुगम हो। स्कूल बोर्डों के बीच समतुल्यता के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं: (क) पाठ्यक्रम अनुरूपता : अधिगम क्षमताओं की सभी बोर्डों में तुलनीयता की सुनिश्चितता, (ख) मूल्यांकन मानक : शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की समान अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करने हेतु सतत मूल्यांकन विधियों और स्कोरिंग मानदंडों की स्थापना, (ग) प्रशासनिक प्रथाएं: विभिन्न बोर्डों के बीच शासन और परिचालन प्रक्रियाओं का

मानकीकरण, (घ) समावेशिता: सभी शिक्षार्थियों के लिए उनकी पृष्ठभूमि या अधिगम आवश्यकताओं की परवाह किए बिना शिक्षा तक समान पहुंच का संवर्धन, और (ड़) अवसरंचनात्मक गुणवत्ता: विभिन्न क्षेत्रों और बोर्डों में शैक्षिक सुविधाओं और संसाधनों की निरंतरता की सुनिश्चितता।

परख, विभिन्न स्कूल बोर्डों में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और अकादमिक समानता सुनिश्चित करने, छात्रों के अधिगम परिणामों में निष्पक्षता और एकरूपता के संवर्धन हेतु एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। यह स्कूल बोर्डों को नई मूल्यांकन पद्धति, नवीनतम शोध और स्कूल बोर्डों के बीच सहयोग के संवर्धन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है। परख द्वारा आयोजित कार्यशालाओं की श्रृंखला, स्कूल बोर्डों में उत्तीर्णता दरों में सुधार लाने तथा प्रश्नपत्र टेम्पलेट्स को मानकीकृत करके और स्कूल बोर्डों में प्रश्नपत्र सेटर्स की क्षमता में वृद्धि करके, अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाने वाले छात्रों की सहायता करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रटने की प्रवृत्ति को कम करने तथा आलोचनात्मक सोच और मूल दक्षताओं के मूल्यांकन पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु मूल्यांकन पद्धतियों की पुनर्संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि विभिन्न मूल्यांकन प्रणालियों के कारण होने वाले नुकसान के बिना स्कूल बोर्डों और स्कूलों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाया जा सके।

****